

कार्यालय

प्रतिष्ठान प्रशिक्षण विभाग, एशिया

उत्तर प्रदेश, मथुरा

संख्या: प्रतिष्ठा/प्रशिक्षण/सम्बद्धता/एशिया/3537

मथुरा, दिनांक: 08/08/2021

कार्यालय ज्ञापन

प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अहमदिया कॉलेजों की कार्यालय अग्रा, इण्डिया, अहमदिया कॉलेजों के प्रतिष्ठान एशिया, 2021-22 हेतु विभागीय स्तर पर तकनीकी शिक्षण समस्याओं को अनुसंधान प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, अग्रा, मथुरा में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यलय की सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता शुरू से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश आसानी वृद्धि अर्थात् अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न नए विभाग के अनुसंधान में निम्न संस्था को प्रतिष्ठान शिक्षा परिषद, अग्रा, मथुरा द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता शुरू से संयोजित करने के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रतिष्ठान सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1826-ESHAM COLLEGE OF ENGINEERING SAHZADPUR FAIR/ENH-2, AGRA-MATHURA HIGHWAY, MATHURA

संस्था	प्रदान करने का नाम	सत्र 2021-22 हेतु अनुसंधान प्रवेश	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुसंधान प्रवेश क्षमता
		मर्रा	
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
5	P.G DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT	60	60
6	P.G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को अनुसंधान प्रदान करने के लिए शर्तें पूरी होनी चाहिए (पाठ्यक्रम, प्रवेश)।
- ✓ संस्था 2007 और 2010 के शिक्षण विभाग परिषद एशिया, अहमदिया कॉलेजों की कार्यालय अग्रा, इण्डिया के प्रतिष्ठान एशिया, 2021-22 हेतु अनुसंधान प्रवेश क्षमता शुरू से संयोजित करने के अंतर्गत पाठ्यक्रम, प्रवेश आसानी वृद्धि अर्थात् अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


 Esham College of Engineering
 Mathura

सम्बंधित हार्ड को अनुसूचना १९ किसे उन्हे प्रभार हार्ड कर इच्छित किसे उन्हे की स्थिति में नियुक्तमान
(अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी)

(गुनीव कुमार शर्मा)

सचिव

यूएचओ- प्रतिभागी संख्या 2021/0658-8800

दिनांक: 14/06/2021

पता:-

FSHAN COLLEGE OF ENGINEERING SAHZADPUR PAURI, NH-2 AGRA-
MATHURA HIGHWAY MATHURA



(गुनीव कुमार शर्मा)

सचिव



कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजघर

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संयोजक दिनांक: 20/08/2022

कार्यालय जय,

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नए दिल्ली/राजकी कउलिवरत ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिल्ली/राजकी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/इंजिनियरिंग समयावधि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किने जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे नाम निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार के उद्देश्य पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश आगता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं नाम : IS26-ESHAN COLLEGE OF ENGINEERING

क्र.सं.	संस्था का नाम	उत्तर प्रदेश/राजकी/राजकी द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश	
		संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	INDUSTRIAL SAFETY	60	60
5	P.G DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT	60	60
6	P.G DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE & NETWORKING	60	60


Director
U.P. Council of Engineering
Tech. Education

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश/राजकी/राजकी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1992 विनियमों की-2000, संशोधन विनियमों की-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सौच करीब इन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20150.00/-

परिवर्ष, टी वीसी ५०बीसी, पाठ्यक्रम हेतु क्रम: ५६००००००/- परिवर्ष एवं एक लाख टी वीसी पाठ्यक्रम (टी वीसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ५०-२२६६०.००/- परिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्राध्यक्ष से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्राध्यक्षों से शुल्क के संस्करण में समय-समय पर शक्य होकर विगत किया जाने वाले शासनादेश बचाये होंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। शिक्षा निर्देशक समिति द्वारा यदि सत्र २०२२-२३ हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की सर्वोच्चतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित एनबी को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरंतर शासनादेश के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ अस्थायी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विगत विद्यार्थियों/अभिजिगी/शासनादेश/विदेशी एवं विदेशक, बाणिज्य शिक्षा, ३०५५, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ३०२० तथा बाणिज्य शिक्षा परिषद ३०२५ द्वारा बन्ने वाले नियमों, विधियों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि शासनादेश क्र. १०/५५००सी०वी०३०००सी०५५०/२०२१ की अनुमोदन सिस्टम किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिगत रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायित्व होगी। बाणिज्य शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, बाणिज्य शिक्षा निर्देशक एवं बाणिज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम किया जाता है तथा दायरा कद के संबंध में आ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपुति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अकाउंट द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अनिवार्य काउन्सिलिंग फॉर्मों को फ्री पर १०/५५००सी०वी०३०००सी०५५०/२०२१ के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कक्षाओं को उपसम्बद्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर पराधीन प्रवेश/अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर विगत नवीनतम उत्तरदायित्व निर्देशों का अनुपालन करवा संबंधित होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्ध सूचनाएं जैसे संस्था की ऐडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, नियम, सार-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-परिचालन हेतु उपयुक्त कक्षा/रचना उपकरणों बनाने के साथ रेगिस्टर बनाने के माध्यम में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित होयान्वित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपसम्बद्ध करारों को अतिरिक्त, मूजि-अक्षर, कक्षाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो आवश्यक संस्था भी सम्बद्धता सहायक लिखे जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिनस्थानीय निर्देशकों के दौरान यदि संस्था में मूजि, अक्षर, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा १०/५५००सी०वी०३०००सी०५५०/२०२१ के माध्यम से उपसम्बद्ध नहीं करी जाता है तो संस्था की सम्बद्धता/सम्बन्धता कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धा शर्ती का अनुमानन न किचे उनी अथाए वली का उल्लापंत किचे उने की स्थिति में नियमानुसार
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Eshan
(सिपाईयाउरु खान)

सचिव

प्राथमिक- आशिकसविषय सम्बद्धता/2022/7/18-8455

दिनांक: 30/09/2022

प्रतिनिधि-

पुस्तकालय निदेशक: ESHAN COLLEGE OF ENGINEERING

Eshan
(सिपाईयाउरु खान)

Eshan
Eshan College of Engineering
Firoz, Madani

सचिव